वर्ष 2008–09 में गैर आवासीय एवं आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश

गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों का संचालन

- कभी स्कूल न गये तथा ड्राप आउट 11–14 वय वर्ग के कम से कम 15–20 बच्चों के एक ही (पाकेट/क्लस्टर) में उपलब्ध होने पर 9 माह के लिये गैर आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किया जाये। यह विशेष ध्यान रखा जाय कि किसी भी दशा में एक स्थान के 10–12 बच्चें यदि उपलब्ध हो तो उन्हें गैर आवासीय ब्रिजकोर्स में ही पंजीकृत कराया जाय। ऐसे समूह के बच्चों को आवासीय ब्रिजकोर्स में कदापि पंजीकृत न किया जाय।
- गैर आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन उस गांव/मजरे/वार्ड में होना चाहिये जहां आउट आफ स्कूल बच्चे अधिक हो तथा जो पहुंच की दृष्टि से सुलभ हो।
- निकटतम प्राथमिक विद्यालय, केन्द्र पंचायत भवन, एन.पी.आर.सी. का भवन, सार्वजनिक भवन अथवा विवाद रहित अन्य सुविधाजनक भवन पर केन्द्र का संचालन किया जा सकता है।
- 11–14 वय वर्ग के कभी स्कूल न गये एवं ड्रापआउट बच्चों के नाम तथा पतावार सूची की एक प्रति न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक व ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक के पास तथा एक प्रति गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्र पर अवश्य रखी जाय, जिससे समय–समय पर निरीक्षण अधिकारियों द्वारा बच्चों का विवरण देखा जा सके।
- सर्वेक्षण में पाये गये उपरोक्त प्रकार के बच्चों की सूची केन्द्र पर न पाये जाने की स्थिति में संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक उत्तरदायी होंगे। इन्हें लिखित रूप से यह उत्तरदायित्व दिया जाय।
- गैर आवासीय ब्रिजकोर्स में नामांकित बच्चों को परिषदीय विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पाठय पुस्तकें निःशुल्क सीधे जनपद द्वारा उपलब्ध कराई जाये। उक्त केन्द्रों में निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर होने वाला व्यय का भुगतान गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों हेतु प्राविधानित मद से किया जाये।
- गैर आवासीय ब्रिजकोर्स में नामांकित बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत पके पकाये भोजन की व्यवस्था निकट के प्राथमिक विद्यालय से कराना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु केन्द्र प्रारम्भ होते ही बच्चों की सूची निकट के प्राथमिक विद्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।
- नगरीय क्षेत्रों में गैर आवासीय ब्रिजकोर्स के संचालन हेतु भवन किराये पर लिया जा सकता है। यह किराया केन्द्र लागत के 6 प्रतिशत के अन्तर्गत होगा जिसका व्यय संबंधित जनपद के प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कास्ट से किया जाये। (केवल शासकीय तंत्र द्वारा संचालित केन्द्रों हेतु)
- गैर आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु दो अनुदेशकों का चयन उसी ग्राम सभा/वार्ड से किया जाय, जहां ब्रिजकोर्स संचालित किया जाना है। उस ग्राम सभा/वार्ड में अनुदेशक न मिलने पर संबंधित न्याय पंचायत से चयनित किया जाय। अनुदेशकों की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।
- केन्द्र प्रातः 9:00 बजे से सायः 4:00 के बीच न्यूनतम 4 घण्टे की अवधि के लिये संचालित किये जायें। केन्द्रों के संचालन के समय में स्थानीय आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

- 9 माह की अवधि में बच्चों को परिषदीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा–1–5) के सभी विषयों की दक्षतायें बच्चों का प्रीटेस्ट लेकर उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति के आधार पर प्राप्त करायी जाय।
- बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के आधार पर परीक्षा दिलाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अगली उपयुक्त कक्षा में विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा।
- गैर आवासीय ब्रिजकोर्स के अन्त में बच्चों की परीक्षा निकट के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जाय तथा परिषदीय विद्यालयों के लिए निर्मित परीक्षाफल प्रारूप पर अंकन कर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कराया जायेगा।
- गैर आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं एवं शासकीय तंत्र दोनों के माध्यम से यथावश्यकतानुसार कराया जा सकता है।
- गैर आवासीय ब्रिजकोर्स के संचालन हेतु अनुमन्य मदवार बजट व केन्द्र सामग्री का विवरण संलग्न पर है। **(संलग्नक–1)**

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा गैर आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन

- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा गैर आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन किये जाने संबंधी संशोधित मार्गदर्शिका आपको पृथक से प्रेषित की जायेगी। स्वैच्छिक संस्थाओं की अर्हता, पात्रता, प्रस्तावों का डेस्क एवं फील्ड अप्रेजल एवं अन्य प्रावधान संशोधित मार्गदर्शिका में दिये गये मानकों के अनुसार ही होगें।
- स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से गैर आवासीय ब्रिजकोर्स के संचालन हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण जिला स्तर पर किया जायेगा। उक्त प्रस्तावों का डेस्क/फील्ड अप्रेजल करने के उपरान्त अर्ह पाये गये प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय जिला शिक्षा परियोजना समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे तथा श्रेष्ठता क्रम में उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को लक्ष्य के सापेक्ष जिला स्तर पर ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अर्थात स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन आदि की समस्त कार्यवाही जिला स्तर पर ही सम्पन्न की जाए।
- **प्रथम बार आवेदन करने वाली स्वैच्छिक संस्था को जिला स्तर पर अधिकतम 05 गैर आवासीय ब्रिजकोर्स स्वीकृत किये जा सकते है।**
- **विगत वर्षो में कार्य कर चुकी स्वैच्छिक संस्था को उनकी क्षमता एवं संचालित किये गये केन्द्रों की परफार्मेन्स के आधार पर अधिकतम 10 गैर आवासीय ब्रिजकोर्स स्वीकृत किये जा सकते है।**
- **<u>अनुदेशक की अर्हतायें</u>**

  गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों के अनुदेशकों के लिये वांछित अर्हतायें निम्नवत् होगी :–
- शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल उत्तीर्ण।
- आयु न्यूनतम 18 वर्ष।
- महिला अनुदेशक को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- अनुदेशक प्रस्तावित केन्द्र की ग्राम सभा/वार्ड का स्थानीय व्यक्ति रखा जायेगा। यदि ग्राम सभा/वार्ड में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संबंधित न्याय पंचायत एवं नगर क्षेत्र में सम्बन्धित जोन से उपयुक्त अभ्यर्थी रखे जाये।

आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन

- 11–14 वय वर्ग के वे बच्चे जो अपनी विषम, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण कभी विद्यालय नहीं गये अथवा ड्रापआउट हो गये हों, और एक ही स्थान पर उपलब्ध न होकर बिखरे हुए हों, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन किया जाये।
- आवासीय ब्रिजकोर्स अधिकतम 60 बालकों अथवा 60 बालिकाओं के लिये पृथक– पृथक संचालित किया जाय।
- ब्रिजकोर्स संचालन की अवधि 9 माह की होगी, जिसमें से 8 माह पठन–पाठन कार्य के उपरान्त 9वें महीने में सभी बच्चों को उनकी अधिगम सम्प्राप्ति के आधार पर उनके निकटतम विद्यालयों में नामांकित कराया जायेगा।
- नवें माह में अनुदेशक अभिभावकों, बच्चों एवं सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों के सम्पर्क में रहकर बच्चों का विद्यालय में प्रवेश करायेंगे एवं बच्चों का ठहराव भी सुनिश्चित करेंगे।
- अनुदेशकों द्वारा सभी बच्चों का औपचारिक विद्यालय में नामांकन कराये जाने के उपरान्त ही नवें माह के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर 11–14 वय वर्ग के कभी स्कूल नहीं गये अथवा ड्रापआउट बच्चों के नाम व पता वार सूची की एक प्रति न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक व ब्लाक समन्वयक के पास तथा एक प्रति ब्रिजकोर्स में उपलब्ध करायी जाय, जिससे समय–समय पर बच्चों का अनुश्रवण किया जा सके।
- सर्वेक्षण में पाये गये उपरोक्त प्रकार के बच्चों की सूची केन्द्र पर न पाये जाने की स्थिति में संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक उत्तरदायी होंगे। इन्हें लिखित रूप से यह उत्तरदायित्व दिया जाय।
- आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों में नामांकित सभी बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क सीधे जनपद द्वारा क्रय करके उपलब्ध करायी जाये। उक्त केन्द्रों में निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर होने वाले व्यय का भुगतान आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों हेतु प्राविधानित बजट से किया जाये।
- ब्रिजकोर्स की अवधि में बच्चों को परिषदीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा–1–5) के सभी विषयों की दक्षतायें बच्चों का प्रीटेस्ट लेकर उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति के आधार पर प्राप्त करायी जाय।
- बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के आधार पर परीक्षा दिलाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अगली उपयुक्त कक्षा में विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा।
- ब्रिजकोर्स के अन्त में बच्चों की परीक्षा निकट के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जाय तथा परिषदीय विद्यालयों के लिए निर्मित परीक्षाफल प्रारूप पर अंकन कर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कराया जायेगा।
- आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं एवं शासकीय तंत्र दोनों के माध्यम से यथावश्यकतानुसार कराया जा सकता है।
- आवासीय ब्रिजकोर्स के संचालन हेतु अनुमन्य मदवार बजट व केन्द्र सामग्री का विवरण संलग्न पर है। (संलग्नक–2)

<u>स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन</u>

- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन किये जाने संबंधी संशोधित मार्गदर्शिका आपको पृथक से प्रेषित की जायेगी। स्वैच्छिक संस्थाओं की अर्हता, पात्रता, प्रस्तावों का डेस्क एवं फील्ड अप्रेजल एवं अन्य प्रावधान संशोधित मार्गदर्शिका में दिये गये मानकों के अनुसार ही होगें।
- स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से आवासीय ब्रिजकोर्स के संचालन हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण जिला स्तर पर किया जायेगा। उक्त प्रस्तावों का डेस्क/फील्ड अप्रेजल करने के उपरान्त अर्ह पाये गये समस्त प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय जिला शिक्षा परियोजना समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे तथा श्रेष्ठता क्रम में उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को लक्ष्य के सापेक्ष जिला स्तर पर ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अर्थात स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन आदि की समस्त कार्यवाही जिला स्तर पर ही सम्पन्न की जाये।
- **प्रथम बार आवेदन करने वाली स्वैच्छिक संस्था को जिला स्तर पर अधिकतम 01 आवासीय ब्रिजकोर्स स्वीकृत किये जा सकते हैं।**
- **विगत वर्षो में कार्य कर चुकी स्वैच्छिक संस्था को उनकी क्षमता एवं संचालित किये गये केन्द्रों की परफार्मेन्स के आधार पर अधिकतम 03 आवासीय ब्रिजकोर्स स्वीकृत किये जा सकते हैं।**

शासकीय तंत्र द्वारा आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन

- जनपद में शासकीय तंत्र से संचालित होने वाले आवासीय ब्रिजकोर्स के संचालन हेतु स्थल चयन एवं संचालन का मुख्य दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।
- इस हेतु लक्ष्य समूह की पहचान हाउस होल्ड सर्वे में उपलब्ध आंकड़ों से की जाये।
- दो अनुदेशक, रसोईया, सहायक रसोईया जो चौकीदार का कार्य भी करेगा, के चयन हेतु गत वर्ष की भाँति निम्नवत् समिति रहेगी :–

1	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
3	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
4	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (संबंधित विकासखण्ड) नगर क्षेत्र की स्थिति में नगर शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	जिला समन्यक, वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य–सचिव

- आवासीय ब्रिजकोर्स शिविर के संचालन हेतु सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी सम्पूर्ण कार्यवाही करने के उत्तरदायी होगें।
- विकासखण्ड पर स्थित एन0पी0ई0जी0ई0एल0 का भवन/हाल, ब्रिजकोर्स संचालन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
- नगरीय क्षेत्रों में आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों के संचालन हेतु भवन किराये पर लिया जा सकता है। यह किराया केन्द्र लागत के 6 प्रतिशत के अन्तर्गत होगा, जिसका व्यय संबंधित जनपद के प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कॉस्ट से किया जायेगा। (केवल शासकीय तंत्र द्वारा संचालित केन्द्रों हेतु)
- जनपद में स्थित डायट के माध्यम से भी आवासीय ब्रिजकोर्स का संचालन किया जा सकता है।
- शिविर के अन्त में बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के आधार पर परीक्षा दिलाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने हेतु उपयुक्त कक्षा में उनके निकटतम विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा।

आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु दो अनुदेशक, रसोईया सहायक रसोईया कम चौकीदार की अर्हतायें निम्नवत् रखी जाय :–

- अनुदेशक, रसोईया एवं सहायक रसोईया कम चौकीदार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ।
- अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण होगी।
- रसोईया एवं सहायक रसोईया कम चौकीदार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा–5 उत्तीर्ण।
- रसोईया, सहायक रसोईया कम चौकीदार विश्वसनीय, भोजन पकाने में निपुण एवं अनुभवी होने चाहिए।
- आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु अनुदेशक, रसोईया एवं सहायक रसोईया कम चौकीदार का चयन स्थानीय व्यक्तियों का न किया जाय ताकि उनका रात्रि ठहराव सुनिश्चित हो सके।

उक्त कर्मचारियों के चयन में निम्नवत् चयन प्रक्रिया का पालन किया जायः–

- अनुदेशक, रसोईया एवं सहायक रसोईया कम चौकीदार के चयन हेतु जनपद स्तर पर विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाय।
- उक्त गठित समिति के माध्यम से साक्षात्कार एवं मेरिट के आधार पर चयन किया जाय।
- बालिकाओं के शिविर हेतु महिला अनुदेशकों का चयन किया जाय।
- बालकों के शिविर हेतु पुरूष अनुदेशक का चयन किया जा सकता है।
- दोनों अनुदेशक, रसोईया एवं सहायक रसोईया कम चौकीदार का शिविर में दिन–रात बच्चों के साथ रहना अनिवार्य होगा।
- आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु अनुदेशक, रसोईया एवं सहायक रसोईया कम चौकीदार का चयन स्थानीय व्यक्तियों का न किया जाय ताकि उनका रात्रि ठहराव सुनिश्चित हो सके।
- अनुदेशक का चयन 9 माह के लिए तथा रसोईया एवं सहायक रसोईया कम चौकीदार का चयन केवल 8 माह के लिए किया जाय।
- 8 माह की अवधि में बच्चों को यथावश्यक प्राथमिक कक्षाओं के आवश्यक विषयों की दक्षतायें उनकी सम्प्राप्ति के आधार पर प्राप्त करायी जाय।
- शिविर के अन्त में बच्चों की शिक्षा सम्प्राप्ति के आधार पर परीक्षा दिलाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने हेतु बच्चों के निवास के समीप विद्यालय की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश कराया जायेगा

आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन हेतु अन्य आवश्यक दिशा निर्देश

- विकासखण्ड अथवा जनपद मुख्यालय पर यथासम्भव संचालित किया जाये।
- ऐसा भवन जहां हाल अथवा कमरे, रसोई घर, स्नानागार आदि 60 बच्चों के लिए पर्याप्त हो, वही संचालित किया जाये।
- बिजली व्यवस्था के अतिरिक्त पेट्रोमैक्स, टार्च, जनरेटर, इनवर्टर आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
- ब्रिजकोर्स बालकों के लिए तथा बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक संचालित किये जायें।
- शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की जाये।
- शिक्षण कक्ष तथा शयन कक्ष पास–पास हों, ऐसे भवन की व्यवस्था की जाये।
- शयन कक्ष रोशनदान एवं प्रकाश युक्त होना चाहिए।

- समय–सारिणी बड़े चार्ट पर तैयार करके प्रमुख दीवारों पर लगायी जाये।
- भोजन व्यवस्था हेतु साप्ताहिक मेनू (मार्गदर्शिका में संलग्न प्रारूप के अनुसार) जिसमें समय भी अंकित हो, प्रमुख दीवार पर लगाया जाये तथा मेनू के अनुसार ही बच्चों को भोजन नाश्ता उपलब्ध कराया जाय।
- बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के आधार पर उन्हें पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाये। मुस्लिम बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्दू भाषी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायें।
- सूची के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली सभी सामग्री निर्धारित मात्रा में दी जाये।
- किसी भी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों का नामांकन आवासीय ब्रिजकोर्स में कदापि न किया जाये। निर्धारित आयु के कम आयु वर्ग के बच्चों को ब्रिजकोर्स में नामांकित न किया जाए।
- प्री–टेस्ट के आधार पर बच्चों को समूह बनाकर पढ़ाया जाये जिससे ब्रिजकोर्स की अवधि में उचित शैक्षिक सम्प्राप्ति करायी जा सके।
- हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार दूर–दराज की बस्तियों में चिन्हित कभी स्कूल न गये अथवा ड्रापआउट बिखरे हुए बच्चों का ही नामांकन ब्रिजकोर्स में किया जाये।
- समुदाय की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित की जाये।
- निकट के स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सक/अन्य चिकित्सक के माध्यम से बच्चों का माह में कम से कम दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराकर रिपोर्ट बच्चों की प्रोफाइल में रखी जाये।
- समय–सारिणी में योग, व्यायाम एवं खेलकूद का भी समावेश किया जाये।
- ब्रिजकोर्स में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाये।
- बच्चों के खाने–पीने हेतु सूची के अनुसार बर्तनों की व्यवस्था की जाये।
- टी0एल0एम0 एवं अन्य शैक्षिक सामग्री/उपकरण की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जाए।
- सुरक्षा की दृष्टि से आवासीय ब्रिजकोर्स के संचालन स्थल के निकटतम पुलिस चौकी/थाने से समन्वय स्थापित रखा जाये।
- **आवासीय ब्रिजकोर्स, गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों के संचालन हेतु अभिलेख संलग्नक–3 के अनुसार रखे जायें।**

गैर आवासीय/आवासीय ब्रिजकोर्स के संचालन की समय–सारिणी

- **स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले आवासीय/गैर आवासीय ब्रिजकोर्स के प्रस्तावों को निम्नवत् समय–सारिणी होगी।**

प्रस्तावों की प्राप्ति	15 सितम्बर, 2008 तक
डेस्क/फील्ड अप्रेजल/प्रस्तावों की स्वीकृति	15 अक्टूबर, 2008 तक
वित्तीय स्वीकृतियों का निर्गमन एवं प्रशिक्षण	31 अक्टूबर, 2008 तक
केन्द्र संचालन	01 नवम्बर, 2008 तक
मुख्यधारा से जोड़ा जाना	माह जुलाई, 2009 तक

- **शासकीय तंत्र द्वारा संचालित होने वाले आवासीय/गैर आवासीय ब्रिजकोर्स के प्रस्तावों को निम्नवत् समय–सारिणी होगी।**

स्थल चयन	10 सितम्बर 2008 तक
स्टाफ चयन हेतु विज्ञप्ति	12 सितम्बर, 2008 तक
स्टाफ चयन	30 सितम्बर 2008 तक

अनुदेशक प्रशिक्षण	20 अक्टूबर, 2008 तक
केन्द्र संचालन	25 अक्टूबर, 2008 तक
बच्चों का मुख्यधारा में जोड़ जाना	माह जुलाई, 2009

- इस समय–सारिणी का जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये तथा विज्ञप्ति भी प्रकाशित करायी जाय।

अनुदेशकों का प्रशिक्षण

- गैर आवासीय एवं आवासीय ब्रिजकोर्स के अनुदेशकों का 12 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में कराया जाय।
- अनुदेशकों के प्रशिक्षण हेतु नामों की सूची जनपद की डायट को समय–सारिणी में निर्धारित प्रशिक्षण समय से पूर्व ही अवश्य प्रेषित कर दी जाय।

केन्द्रों पर वित्तीय प्रबंधन

- गैर आवासीय/आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों की वित्तीय व्यवस्था राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा आवंटित बजट के अनुसार की जायेगी।

संलग्नक–1

गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्र संचालन हेतु मदवार बजट का विवरण

मद	(धनराशि रू0 में)
अनुदेशक मानदेय / 2000प्रतिमाह ग 2 अनुदेशक ग 9 माह	36000.00
बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री / 350.00 प्रति बच्चा (40 बच्चों हेतु)	14000.00
केन्द्र हेतु शिक्षण सामग्री/उपकरण / 4000 प्रति केन्द्र	4000.00
अनुदेशक प्रशिक्षण हेतु डायट को / रू0 70.00 प्रतिदिन प्रति अनुदेशक 12 दिन हेतु 70 ग 12 दिन ग 2 अनुदेशक	1680.00
केन्द्र कन्टीजेन्सी (संचालन स्थल का पता हेतु बोर्ड, चिकित्सा सुविधा, बच्चों की प्रोफाइल हेतु 40 फाइल कवर, टैंग, अन्य रजिस्टर आदि)	2000.00
अभिलेखीकरण फोटोग्राफी सहित	1000.00
योग	**58680.00**
यूनिट कास्ट (प्रति छात्र)	**1467.00**

नोट : बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री मद में आंगणन / रु0 350 प्रति छात्र ग 40 छात्रों हेतु किया गया है परन्तु केन्द्र में नामांकित वास्तविक संख्या के अनुसार ही प्रति छात्र का व्यय किया जाये। शेष मद यथावत् रहेंगें।

गैर आवासीय ब्रिजकोर्स के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षण सामग्री

क्र.सं.	मद	संख्या (प्रति छात्र)
1.	कापियां (120 पेज)	12
2.	पेन्सिल	12
3.	रबर	05
4.	कटर	02
5.	क्रेयान	1 पैकेट
6.	स्केल 12 इंच प्लास्टिक/ लकड़ी, चाँदा, परकार	01
7.	पेन (डॉट पेन)	02
8.	आर्ट कापी	01
9.	किताबें. कार्यपुस्तिका	01 सेट
10.	स्कूल बैग	01
11.	स्लेट एवं चॉक	01 सेट

गैर आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु केन्द्र उपकरण/सामग्री

क्र.सं.	सामग्री का नाम	प्रयोग	संख्या
1.	बॉक्स ताला सहित ;3श्ग2श्ग2श्द्ध 24 गेज	रिकार्ड एवं अन्य सामग्री रखने हेतु	01
2.	ब्लैक बोर्ड लकड़ी स्टैण्ड सहित	शिक्षण हेतु	02
3.	चटाई ;6श्ग3श्द्ध	बैठने हेतु	10
4.	बाल्टी ढक्कन सहित	जल संग्रह हेतु	01
5.	डण्डी वाला लोटा	पानी निकालने हेतु	01
6.	रिंग	खेलने हेतु	04
7.	कूदने वाली रस्सी	खेलने हेतु	04
8.	कैरमबोर्ड/फुटबॉल	खेलने हेतु	01

9.	चॉक	लिखने हेतु	26 डिब्बे
10.	चार्ट (मानचित्र यथा राज्य, देश, संसार) वर्णमाला–हिन्दी,अंग्रेजी,पशु/पक्षी,फल,गिनती, पहाड़े आदि	शिक्षण हेतु	08
11.	रजिस्टर (2 क्वायर)	अभिलेखीकरण हेतु	04
12.	छात्र उपस्थिति पंजिका	छात्रों की उपस्थिति हेतु	01
13.	गोंद	टी0एल0एम0 हेतु	100ग्रा.
14.	कागज	शिक्षण कार्य हेतु	01 रिम
15.	कैंची	टी0एल0एम0 हेतु	01
16.	चार्ट पेपर	टी0एल0एम0 बनाने हेतु	13
17.	नेलकटर	बच्चों के नाखुन काटने हेतु	02
18.	साबुन (कपड़े धोने वाला)	कपड़े धोने हेतु	04
19.	साबुन	हाथ धोने हेतु	04
20.	तौलिया	सफाई हेतु	02
21.	डस्टर	टी0एल0एम0 हेतु	04
22.	स्केल(प्लास्टिक/ लकड़ी) एक फुट, चाँदा, परकार	टी0एल0एम0 हेतु	01
23.	स्कैच पेन	टी0एल0एम0 हेतु	4 दर्जन
24.	पोस्टर/वाटर कलर	टी0एल0एम0 हेतु	02पैकेट
25.	अबेकस बड़ा	शिक्षण हेतु	01
26.	झाड़ू (सफाई हेतु)	सफाई हेतु	01

नोटः– केन्द्र बन्द होने पर सभी नॉन कन्ज्यूम्बिल सामग्री निकटतम परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में सूची बनाकर जमा की जायेगी। इसका उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाध्यापक/एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 समन्वयक का होगा।

<u>संलग्नक–2</u>

आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्र संचालन हेतु अनुमन्य मदवार बजट का विवरण

मद	धनराशि रू0 में
मानदेय (दो अनुदेशक हेतु) 9 माह के लिये प्रति रु0 2500.00 प्रतिमाह	45000.00
रसोईया हेतु मानदेय 8 माह के लिये प्रति माह रु0 1500.00	12000.00
सह रसोईया कम चौकीदार हेतु मानदेय 8 माह के लिये प्रति माह रु0 1500.00	12000.00
पठन–पाठन सामग्री प्रति विद्यार्थी रु0 450.00 (60 बच्चों के लिए)	27000.00
केन्द्र हेतु सामग्री/उपकरण	5300.00
आवास एवं भोजन (60 बच्चों के लिए) रू0 27.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	372600.00
आवासीय व्यवस्था हेतु सामग्री (ओढ़ना, बिछौना व भोजन पकाने एवं खाने के बर्तन) (60 बच्चों के लिए)	18500.00
प्रशिक्षण 12 दिन दो अनुदेशक रु0 70.00 प्रति दिन (डायट को)	1680.00
आकस्मिक व्यय (संचालन स्थल का बोर्ड चिकित्सा सुविधा, 60 फाइल कवर, टैग एवं अन्य रजिस्टर आदि)	2320.00
अभिलेखीकरण	1000.00
योग	**497400.00**
यूनिट कास्ट (प्रति छात्र)	**8290.00**

- **नोट**—बच्चों हेतु ि ाक्षण सामग्री मद, आवास एवं भोजन तथा आवासीय व्यवस्था हेतु सामग्री का आंगणन 60 छात्रों हेतु किया गया है परन्तु केन्द्र में नामांकित वास्तविक संख्या के अनुसार ही प्रति छात्र का व्यय किया जाये। शेष मद यथावत् रहेंगे।
- आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन की अवधि कुल 9 माह होगी, जिसमें से 8 माह पठन–पाठन कार्य के उपरान्त 9वें माह में सभी बच्चों को उनके अधिगम सम्प्राप्ति के आधार पर उनके निकटतम प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराया जायेगा।
- ब्रिजकोर्स संचालन अवधि (9 माह) में अधिकतम 10 दिन का अवकाश अनुमन्य होगा। अवकाश दिवसों की पूर्व सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी जानी होगी।
- आवासीय व्यवस्था हेतु भोजन पकाने के बर्तन भगौनें ढक्कन सहित, परात, तवा, चमचा, अन्य उपकरण, गैस चूल्हा, गैस सिलेण्डर, थाली (चार खाने वाली), गिलास, गद्दे रजाई, चादर एवं बक्सा आदि जो गत वर्ष में जनपद में संचालित कराये गये आवासीय ब्रिजकोर्स कार्यक्रम हेतु क्रय किए गये थे, उन्हीं का प्रयोग किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा शासकीय तंत्र/गैर शासकीय तंत्र जो जनपद हेतु स्वीकृत होंगे, को यथासम्भव उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करायेगें। स्तरानुकूल न होने पर एवं आवश्यकता पड़ने पर ही संस्था द्वारा उक्त उपकरण बाजार आदि से क्रय किये जायेंगे।

आवासीय ब्रिजकोर्स के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षण सामग्री

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	कापियां (120 पेज)	12
2.	पेंन्सिल	12
3.	रबर	05
4.	कटर	02
5.	क्रेयान	1 पैकेट
6.	स्केल 12 इंच (प्लास्टिक/लकड़ी) चाँदा, परकार	01
7.	पेन (डॉट पेन)	02
8.	आर्ट कापी	01
9.	किताबें, कार्यपुस्तिका (बच्चों की अधिगम स्तर के अनुरूप)	01 सेट
10.	स्कूल बैग	01
11.	बच्चे की ड्रेस	01

आवासीय ब्रिजकोर्स के केन्द्र हेतु उपकरण/सामग्री

क्र.सं.	सामग्री का नाम	प्रयोग	संख्या
1	ब्लैक बोर्ड लकड़ी स्टैण्ड सहित	शिक्षण हेतु	02
2.	चटाई ;6श्ग3श्द्ध	बैठने हेतु	15
3.	बाल्टी ढक्कन सहित	जल संग्रह हेतु	01
4.	डण्डी वाला लोटा	पानी निकालने हेतु	02
5.	रिंग	खेलने हेतु	04
6.	कूदने वाली रस्सी	खेलने हेतु	04
7.	कैरमबोर्ड/वॉली बॉल	खेलने हेतु	01
8.	चॉक	लिखने हेतु	20 डिब्बे
9.	चार्ट पेपर	टी0एल0एम0 बनाने हेतु	13
10.	रजिस्टर (2 क्वायर)	अभिलेखीकरण हेतु	04
11.	छात्र उपस्थिति पंजिका	छात्रों की उपस्थिति हेतु	01

12.	गोंद	टी0एल0एम0 हेतु	100 ग्रा.
13.	कागज	शिक्षण कार्य हेतु	01 रिम
14.	कैंची	टी0एल0एम0 हेतु	01
15.	चार्ट (मानचित्र यथा राज्य, देश, संसार) वर्णमाला– हिन्दी, अंग्रेजी, पशु/पक्षी, फल, गिनती, पहाड़े आदि	शिक्षण हेतु	08
16.	नेलकटर	बच्चों के नाखुन काटने हेतु	02
17.	साबुन (कपड़े धोने वाला)	कपड़े धोने हेतु	15
18.	साबुन (नहाने वाला)	नहाने हेतु	15
19.	तौलिया	पोछने हेतु	02
20.	डस्टर	टी0एल0एम0 हेतु	04
21.	स्केल (प्लास्टिक/ लकड़ी) एक फुट, चाँदा, प्रकार	टी0एल0एम0 हेतु	01
22.	स्कैच पेन	टी0एल0एम0 हेतु	4 दर्जन
23.	पोस्टर/वाटर कलर	टी0एल0एम0 हेतु	02 पैकेट
24.	अबेकस बड़ा	शिक्षण हेतु	01
25.	मंजन	दांत साफ करने हेतु	6
26.	टूथ ब्रश	'' ''	60
27.	कंघी, तेल, शीशा	बालों हेतु	–
28.	पेट्रोमैक्स	रोशनी हेतु	02
29.	झाडू	सफाई हेतु	02

आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु अनावर्तक सामग्री/उपकरण का आइटमवार विवरण

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	बॉक्स ताला सहित ;3श्ग2श्ग2श्द्ध 24 गेज	01
1.	गद्दे	30
2.	रजाई	30
3.	चादर	60
4.	बर्तन (भोजन पकाने के) (क) भगौनें ढक्कन सहित (ख) परात (ग) तवा (घ) चमचा (च) गैस चूल्हा सिलेण्डर सहित	 2 2 1 बड़ा 3 ***1 चूल्हा 2 सिलेण्डर***
5.	बर्तन (खाने के) (क) थाली (चार खाने वाली) (ख) गिलास	 60 60

नोटः– केन्द्र बन्द होने पर सभी नॉन कन्ज्यूम्बिल सामग्री निकटतम ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) अथवा नगर संसाधन केन्द्र (यू.ई.आर.सी.) में सूची बनाकर जमा की जायेगी। इसका उत्तरदायित्व संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी एवं बी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 समन्वयक का होगा। उक्त सामग्री न जमा होने पर संचालक संस्था की अन्तिम तृतीय कि त से सामग्री मद की धनराशि की कटौती कर ली जाये।

संलग्नक–3

केन्द्र में रखे जाने वाले अभिलेख

1. सर्वेक्षण सूची–शिक्षा विभाग द्वारा हाउस होल्ड सर्वे से प्राप्त आउट आफ स्कूल तथा कभी स्कूल नहीं गये (पृथक–पृथक) 11–14 वय वर्ग के बच्चों की सूची–

2. प्रवेश फार्म–

सामान्य निर्देश– सभी प्रविष्टियाँ पिता एवं संरक्षक से पूछकर भरी जाय तथा पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर कराये जांय। जन्मतिथि शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाय। प्रवेश फार्म में कोई कटिंग न की जाय।

3. प्रवेश पंजिका– प्रवेश फार्म की प्रविष्टियों के आधार पर प्रवेश पंजिका बनायी जाय।

4. छात्र उपस्थिति पंजिका।

5. स्टाफ उपस्थिति पंजिका।

6. प्री–टेस्ट के आधार पर बच्चों का समूहवार विवरण–

क्रमांक	75 प्रतिशत से अधिक दक्षता स्तर वाले बच्चे (समूह–अ)	50 से 75 प्रतिशत से अधिक दक्षता स्तर वाले बच्चे (समूह–ब)	50 प्रतिशत से कम दक्षता स्तर वाले बच्चे (समूह–स)	न्यून (शून्य) दक्षता स्तर के बच्चे (समूह–द)

7. बच्चों की प्रोफाइल–प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल बनायी जाय, जिसमें प्रवेश फार्म, प्री–टेस्ट के पत्रजात, मूल्यांकन के अभिलेख एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रपत्र रखे जांय।

8. निरीक्षण पंजिका।

9. स्टॉक रजिस्टर–इस पंजिका में केन्द्र में बच्चों एवं केन्द्र हेतु क्रय की गई सभी सामग्री का विवरण रखा जाय।

10. बजट विवरण पंजिका–

प्राप्त बजट	चेक/ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक	मदवार व्यय विवरण	अवशेष बजट	हस्ताक्षर

11. मुख्यधारा में जोड़े गये बच्चों का विवरण पंजिका।

12. गमनागमन पंजिका–इस पंजिका में बच्चों एवं अनुदेशकों का केन्द्र से बाहर जाने एवं आने का विवरण रखा जायेगा।